



श्री नरेन्द्र मोदी  
माननीय प्रधानमंत्री



श्री भजनलाल शर्मा  
माननीय मुख्यमंत्री

## राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव

# राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन

मुख्य अतिथि  
**श्री भजनलाल शर्मा**  
माननीय मुख्यमंत्री

25 मार्च, 2025 | आदर्श स्टेडियम, बाड़मेर | दोपहर 3:00 बजे

### राशि हस्तांतरण / वितरण

1.10 करोड़ परिवारों  
को 200 करोड़ रुपए की  
एल.पी.जी. सब्सिडी

30,000 बालिकाओं को  
लाडो प्रोत्साहन योजना में  
7.5 करोड़ रुपए

31,790 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार,  
बालिका प्रोत्साहन एवं मुख्यमंत्री  
हमारी बेटियाँ योजनाओं में 13.16 करोड़ रुपए

5,000 मेधावी छात्राओं को  
कालीबाई भील योजना में  
स्कूटी वितरण

स्वामी विवेकानन्द स्कॉलरशिप फॉर  
एकेडमिक एक्सीलेंस योजना  
के तहत स्वीकृतियाँ

18,300 महिला समूहों  
को 100 करोड़ रुपए  
का हस्तांतरण

5,000 महिलाओं को  
इंडक्शन कुक टॉप  
का वितरण

बर्तन बैंक योजना

महिला महाविद्यालयों में  
पुस्तकालय / रीडिंग रूम के  
उपयोग के सम्बन्ध में

अति कुपोषित बच्चों के लिए  
टेक होम राशन योजना में दूध की मात्रा  
15 ग्राम से 25 ग्राम

सोलर दीदी

समर्थ महिला - समृद्ध राजस्थान

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान

## विचार बिन्दु

असत्य फूस के ढेर की तरह है। सत्य की एक चिनगारी भी उसे भस्म कर देती है। -हरिभाऊ उपाध्याय

# मांझी जो नाव डुबोए, उसे कौन बचाए?

ज

ब से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्षावंत वर्मा के घर पर आग बुझाने के लिए गई फायर ब्रिगेड को नोटों की जली हुई गड़ियां मिलने की खबर सामने आई है, तब से ऐप्पे देश में यह चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो, न्यायपालिका में ब्राह्मचारी की खबरें यदा कदम आती रही हैं, किंतु इस प्रकार से उच्च न्यायालय के पर से इतनी बड़ी संख्या में कनकदी, जिसकी ब्राह्मियों में बताई जा रही है, पहली बार मिली है। यदि न्यायाधीश के घर में आग नहीं लगी होती तो इस प्रकार का कोई प्रक्रम नहीं था। अन्य लोक सेवकों के विरुद्ध, जिस प्रकार भ्रष्टाचार निरोधक विभाग अथवा सीबीआई रेड कर सकती है, वैसा वह किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वहाँ नहीं कर सकती, क्योंकि इसके लिए उच्च संविधान मुख्य न्यायाधीश की अनुमति की आवश्यकता होती है।

लगे खुल कर न्यायाधीशों के ब्राह्मचारी की बात इसलिए भी करने से डरते हैं, क्योंकि अवमानना का भय रहता है।

आश्वर्य की बात यह है कि घटना 14 मार्च 2025 की है और पांच दिन तक इसके बारे में न सुनीय कोई ने कोई जानकारी दी न ही सरकार ने इस बारे में मीडिया को कुछ बताया। पहली बार इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से 20 अप्रैल को प्राप्त हुई, जब प्रमुख समाचार पर 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के विरुद्ध संवादात्मक महापात्र के विरुद्ध एक व्यक्ति पुष्प पुष्प प्रमुख समाचार से प्रकाशित हुआ। रिपोर्ट एवं यथा गया कि जरिस्त वर्ष के घर में आग लगाने पर फायर ब्रिगेड वहाँ हुंहीं तो बड़ी संख्या में जले हुए नोट प्राप्त हुए। यह समझने से पहे है कि इस बारे में पुलिस विभाग या फायर ब्रिगेड के किसी अधिकारी ने कोई औपचारिक बयान क्यों नहीं जारी किया? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मीडिया के वस्तुत्वात्मक कोई जानकारी न देने के कारण पूरे दिन अफवाहों का बाजार गर्म रहा। किसी ने प्राप्त नोटों की मूलत 15 कोरोड बताई हो तो किसी ने 50 कोरोड एप्पे सोशल मीडिया के विभिन्न नोटों पर इसे संविधान विभिन्न व्यक्तियों की गई।

पहली खबर यह आई कि सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम ने 'न्यायाधीश वर्मा' का स्थानान्तरण दिल्ली से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश वर्मा का स्थानान्तरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उच्च न्यायालय में 2021 में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के इस अदेश की मीडिया में आलोचना होने पर यह आपेक्षा को बेबाइट्ट से हटा लिया गया और कहा गया कि स्थानान्तरण के इस घटना से कोई संबंध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को एक तथ्यात्मक रिपोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने भेजी जिसमें जलते हुए नोटों की बीड़ियों रिकॉर्डिंग तथा जरिस्त वर्ष का स्थानीकरण भी शामिल था।

इलाहाबाद न्यायालय के बार एपोसिएशन ने यह प्रतीताव भी पार्ट कर दिया कि वह अपवाही का स्थानान्तरण कोई 'इंटर्न' नहीं है। इसी बीच फायर ब्रिगेड को मुख्य फायर अधिकारी ने तो वहाँ तक कह दिया था कि आग बुझाने की बात एक प्रकार के अपवाही की गई।

जब सभी और से सर्वोच्च न्यायालय में कर दिया गया था, अब यह समाज के अतिरिक्त समाज के निष्पक्ष और प्रबुद्ध विद्युतिक विभिन्न व्यक्तियों की भी समिति की गई।

सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह अदेश पारित किया कि जरिस्त वर्ष की कार्रवाई को कोई अंतरिक्ष विभिन्न समाजों के लिए लागू करना चाहिए।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 और 218 में क्रांतिकारी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय की अंतरिक्ष जांच समिति द्वारा आरोपित रिपोर्ट होने पर उसे सरकार के माध्यम से प्रदर्शन की गयी। जब इसे लोकों के विवेक विभिन्न व्यक्तियों को देखते हुए जिला कलेक्टर गंभीर और संवाद नहीं आ रहे हैं, तो विवेक ने यह कहा कि आग जलने की विवेक विभिन्न व्यक्तियों को देखते हुए जिला कलेक्टर गंभीर और संवाद नहीं आ रहे हैं।

न्यायाधीशों की मिली इसी सुधार के कारण प्राचारिणी के आरोप होने के बाबूजूद भी उनके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो जाती है।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के विवेक समें यह कहते हुए नोटों की गई।

अपने स्वयं के किसी सदस्य पर इस प्रकार का आरोप लगाने पर वह उसे बचाने में पूरी तरह जुट जाती है।

अपने स्वयं के किसी सदस्य पर इस प्रकार का आरोप लगाने पर वह उसे बचाने में पूरी तरह जुट जाती है।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के विवेक समें यह कहते हुए नोटों की गई।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के विवेक समें यह कहते हुए नोटों की गई।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के विवेक समें यह कहते हुए नोटों की गई।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के विवेक समें यह कहते हुए नोटों की गई।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के विवेक समें यह कहते हुए नोटों की गई।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के विवेक समें यह कहते हुए नोटों की गई।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के विवेक समें यह कहते हुए नोटों की गई।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के विवेक समें यह कहते हुए नोटों की गई।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के विवेक समें यह कहते हुए नोटों की गई।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के विवेक समें यह कहते हुए नोटों की गई।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के विवेक समें यह कहते हुए नोटों की गई।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की बात कहते हुए उन्हें जमानत तक नहीं मिलती है, वहीं, अपने स्वयं के विवेक समें यह कहते हुए नोटों की गई।

यह सारा प्रकरण न्यायपालिका का दोहरा चरित्र भी दिखाता है। एक ओर, जहाँ राजनीतिज्ञों, प्रशासनिक अधिकारियों एवं अन्य लोक सेवकों पर भ्रष्टाचार के आरोप होने पर कड़ी कार्रवाई की



कोटा

Rashtradoot

फोन:- 2386031, 2386032 फैक्स:- 0744-2386033

वर्ष: 50 संख्या: 159

प्रभात

कोटा, मंगलवार 25 मार्च, 2025

कोटा/24/2012-14

पृष्ठ 8

मूल्य 2.50 रु.

# ग्रीनलैण्ड को अमेरिका का 51 वां प्रान्त बनाने की ट्रम्प की इच्छा से काफी विचलित हैं, वहां के नागरिक

85 प्रतिशत ग्रीनलैण्ड निवासी, ट्रम्प की इस कल्पना के पूर्णतया खिलाफ हैं

-अंजन रंथ-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लू-

नई दिल्ली, 24 मार्च। डॉनल्ड ट्रम्प ने खनिजों से भरपूर ग्रीनलैण्ड को खानाने की बात कही थी, और धमकी दी थी कि यदि ऐसा नहीं हो पाया तो उनके नेतृत्व में अमेरिका "वैसे भी" ग्रीनलैण्ड को हासिल कर ही ले गा।

अब अमेरिका ने "हाई प्रोफाइल" मेहमान वहाँ भेजने शुरू कर दिए हैं। द्विप के राजनीतिक अधिकारियों ने इसे "अत्यधिक आक्रमक" कदम बताया है।

यू.एस. नैशनल सिक्यूरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज के ग्रीनलैण्ड जाने की पूरी तैयारी है। इसी के साथ, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की पत्नी ऊषा वैस भी अपने पुत्र के साथ "सांस्कृतिक मिशन" पर द्विप की यात्रा पर जाएंगी। बाटट हास्स प्रवक्ता के अनुसार, ऊषा वैस द्विप के विभिन्न सांस्कृतिक स्थलों का दौरा करेंगी तथा उसके बाद वार्षिक "डॉग स्लैड रेस" की देखेंगी।

संस्कृति में अमेरिका की इस अत्यधिक आप स्तर पर 85 प्रतिशत ग्रीनलैण्ड की

- जैसी भी संभावना के विरुद्ध है। द्विप के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के इस कदम को "अत्यधिक आक्रमक" बताया है। नव-निवाचित प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमेरिका का यह कदम दर्शाता है कि उसके मन में द्विप के लिए "आंतर का अंतर" है।
- ये राजनीतिक आपाएं अचानक ही ऐसे समय पर शुरू हुई हैं, जब द्विप राजनीतिक पतायन के दौरे से गजर रहा है। सन् 1953 तक, ग्रीनलैण्ड पर डेनमार्क का शासन था और उसके बाद से यह द्विप डैनमार्क का स्वायत्त हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वीर्ती कंग्रेस सरकार में भी 123 कानून निरसन किए गए थे। इनमें 100 अमेडमेंट थे। मंत्री पटेल ने कहा कि वर्तमान में 45 कानूनों को निरसन की अनुशंसा की रही है। इनमें 37 कानून मूल कानून में ही समाहित हो गए हैं। पटेल ने कहा कि लीगल सिस्टम के जरिए जनता को फायदा पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। समय-समय पर सरकार की ओर से कानून की समीक्षा की जाती है।
- द्विप में ऐसे दुर्लभ खनिज तत्वों का भंडार है और इसलिए कई देशों की इस परन्तर रेहर है। ये दुर्लभ खनिज रक्षा ऊषा वैस की रुचि को बहुत सहजता से नहीं ले रहे हैं। वासी, अमेरिका का हिस्सा बनने की

किसी भी संभावना के विरुद्ध है।

द्विप के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के इस कदम को "अत्यधिक आक्रमक" बताया है। नव-निवाचित प्रधानमंत्री ने कहा है कि अमेरिका का यह कदम दर्शाता है कि उसके मन में द्विप के लिए "आंतर का अंतर" है।

ये राजनीतिक आपाएं अचानक ही ऐसे समय पर शुरू हुई हैं, जब द्विप राजनीतिक पतायन के दौरे से गजर रहा है। सन् 1953 तक, ग्रीनलैण्ड पर डेनमार्क का शासन था और उसके बाद से यह द्विप डैनमार्क का स्वायत्त हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वीर्ती कंग्रेस सरकार में भी 123 कानून निरसन किए गए थे। इनमें 100 अमेडमेंट थे। मंत्री पटेल ने कहा कि वर्तमान में 45 कानूनों को निरसन की अनुशंसा की रही है। इनमें 37 कानून मूल कानून में ही समाहित हो गए हैं। पटेल ने कहा कि लीगल सिस्टम के जरिए जनता को फायदा पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। समय-समय पर सरकार की ओर से कानून की समीक्षा की जाती है।

द्विप के लोग स्वतंत्रता एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में रहना चाहते हैं। इन लोगों को अमेरिका की बातों से भारी धक्का लगा है। द्विप में ऐसे दुर्लभ खनिज तत्वों का भंडार है और इसलिए कई देशों की इस परन्तर रेहर है। ये दुर्लभ खनिज रक्षा ऊषा वैस की रुचि को बहुत सहजता से नहीं ले रहे हैं। वासी, अमेरिका का हिस्सा बनने की

## 45 पुराने कानून खत्म

जयपुर, 24 मार्च। राजस्थान विधानसभा के सत्र के अधिवारी दिन प्रदेश में 45 गैर-जल्दी और युगे हो चुके कानून खत्म का दिये गये। विधानसभा में बहस के बाद राजस्थान विधायिक निरसन विधेयक पारित कर दिया गया है। इस बिल में पुराने 45 कानून खत्म करने का प्रावधान है। इनमें 37 कानून तो पंचायत राज से जुड़े हैं।

बीकानेर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेडमेंट एक्ट 1952, बीकानेर

म्यूनिसिपल अमेडमेंट एक्ट 1952

जैसे पुराने कानून समात हो गए। बिल पर हुए चर्चा का जवाब देने हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि

जैसे पुराने कानून खत्म करने का दिया गया है। इस बिल में पुराने 45 कानून खत्म करने का प्रावधान है। इनमें 37 कानून तो पंचायत राज से जुड़े हैं।

बीकानेर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेडमेंट एक्ट 1952, बीकानेर

म्यूनिसिपल अमेडमेंट एक्ट 1952

जैसे पुराने कानून समात हो गए। बिल पर हुए चर्चा का जवाब देने हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि

जैसे पुराने कानून खत्म करने का दिया गया है। इस बिल में पुराने 45 कानून खत्म करने का प्रावधान है। इनमें 37 कानून तो पंचायत राज से जुड़े हैं।

बीकानेर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेडमेंट एक्ट 1952, बीकानेर

म्यूनिसिपल अमेडमेंट एक्ट 1952

जैसे पुराने कानून समात हो गए। बिल पर हुए चर्चा का जवाब देने हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि

जैसे पुराने कानून खत्म करने का दिया गया है। इस बिल में पुराने 45 कानून खत्म करने का प्रावधान है। इनमें 37 कानून तो पंचायत राज से जुड़े हैं।

बीकानेर स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अमेडमेंट एक्ट 1952, बीकानेर

म्यूनिसिपल अमेडमेंट एक्ट 1952

जैसे पुराने कानून समात हो गए। बिल पर हुए चर्चा का जवाब देने हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि

जैसे पुराने कानून खत्म करने का दिया गया है। इस बिल में पुराने 45 कानून खत्म करने का प्रावधान है। इनमें 37 कानून तो पंचायत राज से जुड़े हैं।

## अब सांसदों का वेतन एक लाख रुपये प्रतिमाह से बढ़कर सवा लाख रुपये प्रतिमाह हुआ

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भी पीछे नहीं रही, मंत्री व विधायिकों को वेतन वृद्धि देने के मसले पर

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लू-

नई दिल्ली, 24 मार्च। खुद को फायदा पहुंचाने की कोशिश के तहत, आज मंत्री सरकार ने सरकारी खजाने के दरवाजे खोलते हुए, वर्तमान सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत बढ़ाती कर दी। सरकार ने वर्तमान तथा पूर्व सांसदों के वेतन, पेन्शन तथा अतिरिक्त (एंडेशनल) पेन्शन के संशोधन की ओर घोषित की दी।

संसदीय कार्य मंत्री निवालय द्वारा जारी विवरित के अनुसार, वर्तमान सांसदों के दरवाजे खोलते हुए, वर्तमान सांसदों के वेतन तथा 5 साल से अधिक समय-समय पर सांसद रह चुके नेताओं की पेन्शन तथा अतिरिक्त पेन्शन भी बढ़ाई गई है।

यहाँ नागरिक अत्यावश्यक वस्तुओं की ऊँची कीमतों की मार झेल रहे हैं, वहाँ मंत्री सरकार ने सांसदों के वेतन बढ़ाने को प्राप्तिकरण की दी।

सांसदों का मासिक वेतन 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दिया गया है।

दैनिक भत्ता 2,000 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। पूर्व सांसदों की पेन्शन 25,000 रुपए में उल्लिखित "कॉर्स इन्फोरेशन इन्डेव्स एक्ट 2025" पर आधारित है।

संसदीय कार्य मंत्री निवालय द्वारा जारी विवरित के अनुसार, वर्तमान सांसदों के दरवाजे खोलते हुए, वर्तमान सांसदों के वेतन तथा 5 साल से अधिक समय-समय पर सांसद रह चुके नेताओं की पेन्शन तथा अतिरिक्त पेन्शन भी बढ़ाई गई है।

जाहिर है, सरकार के इस कदम से लोगों में नाराजी पैदा होती है।

कर्नाटक में कांग्रेस की राज्य सरकार ने भी मुख्यमंत्री, मंत्रियों तथा विधायिकों के वेतन में शत-प्रतिशत वृद्धि की मजबूती दी थी।









